59

राजस्थान सरकार
सार्वजनिक निर्माण विभाग

दिनाँक : 23.11.12

क्रमांक : प.14(18) सानि/12

मुख्य अभियन्ता एवं सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
जयपुर।

विषयः— विभिन्न विभागों में सार्वजनिक निर्माण के माध्यम से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के फॉरकास्ट एस्टिमेट्स की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा करवाये जाने वाले निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में फॉरकास्ट एस्टिमेट्स के प्रस्ताव फिल्ड में पदस्थापित सक्षम अभियन्ता द्वारा संबंधित विभाग के प्रशासनिक विभाग की सहमति के बिना ही तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रमुख शासन सचिव, महोदय को प्रस्तुत किये जा रहे हैं। यह प्रक्रिया उचित नहीं है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि विभिन्न जोन कार्यालयों, वृत्त कार्यालयों, तथा खण्ड कार्यालयों में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य अभियन्तागण, अधीक्षण अभियन्तागण एवं अधिशासी अभियन्तागण को निर्देशित किया जावें कि भविष्य में विभागों द्वारा करवाये जाने वाले निर्माण कार्यों के संबंध में फॉरकास्ट एस्टिमेट्स के प्रस्ताव संबंधित विभाग के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जावें, क्षेत्र में पदस्थापित किसी भी अभियन्ता द्वारा सीधे फॉरकास्ट एस्टिमेट्स के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जावें।

प्रमुख शासन सचिव, महोदय ने यह भी निर्देश प्रदान किये है कि भविष्य में यदि किसी भी अभियन्ता द्वारा बिना प्रशासनिक विभाग की सहमति के सीधे प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तो संबंधित अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

भवदीय

(सांवर मल वर्मा)
शासन उपसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सानिवि, जयपुर

60

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– F.37(108)/Sec-II/D-1263 दिनांक 29.11.2012

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
संभाग ....(समस्त)

विषय :– विभिन्न विभागों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो के फॉरकॉस्ट एस्टीमेटस (Forecast Estimates) की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपशासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के संलग्न पत्र प–14(18)सा.नि./12 दिनांक 23.11.2012 का अवलोकन करें जिसमें आप एवं आपके अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियो द्वारा सा0नि0वि0 से विभिन्न निर्माण कार्यो के अनुमानित तकमीने (Forecast Estimates) संबंधित विभाग के प्रशासनिक विभाग की सहमति के बिना ही मांगे जाने पर तैयार कर मुख्य अभियन्ता (सार्वजनिक निर्माण विभाग) व प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने हेतु प्रस्तुत किये जा रहे हैं, यह प्रक्रिया उचित नही है।

अतः प्रमुख शासन सचिव महोदय ने निर्देश दिये है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के संभाग/वृत्त/खण्ड कार्यालयों में पदस्थापित क्रमशः अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता गण को निर्देशित किया जावे कि "भविष्य में विभिन्न विभागों द्वारा करवाये जाने वाले निर्माण कार्यो के संबंध में अनुमानित तकमीने (Forecast Estimates) के प्रस्ताव संबंधित विभाग के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से उक्त कार्य का तकमीना मांगे जाने पर ही प्रस्तुत किया जावे तथा उस क्षेत्र में पदस्थापित किसी भी अभियन्ता द्वारा सीधे अनुमानित तकमीना के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जावें।"

"साथ में यह भी निर्देश प्रदान किये हैं कि भविष्य में यदि किसी भी अभियन्ता, द्वारा बिना प्रशासनिक विभाग की सहमति के सीधे प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये तो संबंधित अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।"

अतः अनुमानित तकमीना प्रस्तुत करने में दिये निर्देशो की अपने अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ताओं से पालना करवाना सुनिश्चत करावें। अन्यथा इस कम में बरती गयी लापरवाही हेतु आप स्वयं उत्तरदायी रहेंगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

– Sd –

(हजारी लाल मीणा)
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव,
सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा0नि0वि0, राजस्थान, जयपुर।
2. उपशासन सचिव, सा0नि0वि0, राजस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0, वृत्त– ....(समस्त)।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0, खण्ड– ....(समस्त)।

29/11/12

(हजारी लाल मीणा)
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव,
सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर

\\Cell07\edrive\RM & NK 2012-13 (04.06.12)\Hindi 2012-13 (04.06.12).doc447

परिशिष्ट "बी"

राज्य सरकार द्वारा दरों एवं एनटाइटलमेंट संबंधी अब तक के विभिन्न आदेशों को इकजाई संहिताबद्ध करते हुए निम्न प्रकार से ग्रुप वर्गीकरण किया जाता है ।

ग्रुप – ए

I अति विशिष्ठ एवं विशिष्ठ व्यक्ति

1. भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति
2. राज्यपाल
3. मंत्री, राज्यमंत्री एवं उप मंत्री
4. लोकसभा एवं विधान सभा अध्यक्ष
5. उच्चतम न्यायालय एवं राज0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
6. अध्यक्ष एवं सदस्य राज0 लोक सेवा आयोग
7. महालेखाकार, राजस्थान
8. अन्य अति विशिष्ठ व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी जावें ।

II अधिकारीगण

1. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस.) के समस्त अधिकारी
2. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राज्य सेवाओं के समस्त अधिकारी.
3. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राजपत्रित अधिकारी
4. राज0 राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल के अधिकारी राजकीय यात्रा पर ।
5. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राज्य एवं जिला स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य.
6. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले नगर विकास न्यास, नगर परिषद एवं नगरपालिका के अधिकारी

III अराजपत्रित

1. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले राज्य सरकार के समस्त अराजपत्रित कर्मचारी
2. राजकीय कार्य से यात्रा पर आने वाले नगर विकास न्यास, नगर परिषद एवं नगरपालिका के अराजपत्रित कर्मचारी

IV जन प्रतिनिधि

1. राजस्थान से लोक सभा एवं राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य
2. राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्य

अन्य

1. स्वतन्त्रता सेनानी
2. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नगरपालिका/नगर परिषद/नगर विकास न्यास (एक बार में 2 दिन एवं एक माह में अधिकतम 5 दिन)
3. प्रधान (एक समय में 5 दिन एवं एक माह में अधिकतम 7 दिन)
4. राज0 विश्वविद्यालय के प्राध्यापक परीक्षाओं के संबंध में राजकीय कार्य पर
5. जर्नलिस्ट (Accredited) को आवास उपलब्ध होने पर
6. राजकीय कार्य से आने वाले निम्न एसोसिएशन संघों के अध्यक्ष एवं महामंत्री:- (1) अखिल राज0 राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (2) राज. राज्य कर्मचारी संघ (3) राज. अधीनस्थ कर्मचारी संघ (4) राज. सचिवालय कर्मचारी संघ

....2

//2//

(5) राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ (6) राज॰ भू प्रबंध कर्मचारी संघ
(7) राज॰ पंचायत राज कर्मचारी संघ (8) राज॰ पटवार संघ
(9) राज॰ लेखा संघ (10) यूनाइटेड राज॰ बिल्डर्स एसोसिएशन
(11) बिल्डर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया

ग्रुप – बी

1. राजकीय कार्य से आने वाले केन्द्रीय सरकार व अन्य राज्यों के अधिकारी,
2. अखिल भारतीय सेवाओं (आई॰एस॰एस॰, आई॰पी॰एस॰, आई॰एफ॰एस॰) के समस्त प्रोबेशन अधिकारी जो भारत दर्शन हेतु आते हैं।

उपरोक्त केवल 10 दिन

ग्रुप – सी

1. अखिल भारतीय सेवाओं (आई॰ए॰एस॰, आई॰पी॰एस॰, आई॰एफ॰एस॰) के राजस्थान केडर के समस्त प्रोबेशनर अधिकारी
2. राज॰ राज्य सेवा के प्रोबेशनर अधिकारी
3. ग्रुप ए कालम सं॰ II में वर्णित समस्त पदाधिकारी अपनी निजी यात्रा या अवकाश के दौरान केवल 10 दिन
4. उक्त बिन्दु सं॰ 3 में वर्णित पदाधिकारी स्थानान्तरण पर केवल 30 दिवस तक

ग्रुप – डी

1. अखिल भारतीय सेवाओं (आई॰ए॰एस॰, आई॰पी॰एस॰, आई॰एफ॰एस॰) के राज॰ केडर के वे समस्त अधिकारी जो सेवा-निवृत्त/भूतपूर्व हो गये हैं। केवल 10 दिन
2. वेतनमान 3000-4500 या इससे उच्च वेतनमान के राज॰ राज्य के वे अधिकारी जो सेवा-निवृत/भूतपूर्व हो गये हैं। केवल 10 दिन
3. राजस्थान के भूतपूर्व मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री केवल 10 दिन
4. राजस्थान राज्य के भूतपूर्व सांसद एवं विधायकगण। माह में अधिकतम 5 दिन

ग्रुप – ई

1. प्राईवेट व्यक्ति
2. शेष सभी जिनका उपरोक्त ग्रुप ए, बी, सी एवं डी में उल्लेख नहीं है
3. ग्रुप – ए, बी, सी एवं डी में वर्णित सभी पदाधिकारी वांछित निर्धारित अवधि के पश्चात